SHIKSHA SAMVAD
International Journal of Multidisciplinary Research
ISSN: 2584-0983 (Online)
© Shiksha Samvad|Volume-03| Issue-04| June- 2026
Available online at: https://shikshasamvad.com/
DOI:- https://doi.org/10.64880/shikshasamvad.v3i4.42

बरेली मण्डल के सरकारी एवं गैर सरकारी महाविद्यालयों में अध्ययनरत शिक्षक प्रशिक्षुओं में साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन

वेद प्रकाश शर्मा[1], डॉ0 विनीता एम0 चौधरी[2]

[1]शोध छात्र, शिक्षा विभाग, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, गजरौला, उ0प्र0
Email: prachipathak003@gmail.com

[2]एसोसिएट प्रोफेसर (पर्यवेक्षक), शिक्षा विभाग, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, गजरौला, उ0प्र0

सार

वर्तमान युग में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक एवं प्रभावी बनाया है। ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान, ई–लर्निंग, सोशल मीडिया तथा क्लाउड आधारित सेवाओं के बढ़ते उपयोग ने शिक्षक प्रशिक्षुओं के अध्ययन एवं अध्यापन की प्रकृति को बदल दिया है। इसके साथ ही साइबर अपराधों जैसे फिशिंग, हैकिंग, पहचान की चोरी, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन वित्तिय धोखाधड़ी तथा डेटा चोरी जैसी घटनाओं में भी लगातार वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में शिक्षक प्रशिक्षुओं में साइबर अपराध के प्रति प्रर्याप्त जागरूकता का होना आवश्यक है क्योंकि यही प्रशिक्षु भविष्य में विद्यार्थियों को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के प्रति शिक्षित एवं गैर–सरकारी महाविद्यालियों में अध्ययनरत शिक्षक–प्रशिक्षुओं में साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता का तुलनात्मकता का अध्ययन करना है। अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। कुल 100 शिक्षक–प्रशिक्षुओं (50 सरकारी एवं 50 गैर सरकारी) को नमूने के रूप में चयनित किया गया। प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण हेतु माध्य (Mean) मानक विचलन (SD) स्वतंत्र टी–परीक्षण तथा प्रतिशत का प्रयोग किया गया। अध्ययन के परिणामों से ज्ञात हुआ कि सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षक–प्रशिक्षुओं का औसत जागरूकता स्तर (Mean-132.4) गैर सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षक–प्रशिक्षुओं (Mean-121.2) की तुलना में अधिक पाया गया। दोनों समूहों के मध्य प्राप्त t-5.38 तथा $P<0.001$ का मान सांख्यिकीय रूप से सार्थक है। अतः यह निष्कर्ष निकाला गया कि सरकारी एवं गैर सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षक–प्रशिक्षओं के साइबर अपराध जागरूकता का स्तर में महत्वपूर्ण अन्तर विद्यमान है।

कुंजी शब्द : साइबर क्राइम, साइबर जागरूकता, शिक्षक–प्रशिक्षु सरकारी महाविद्यालय, गैर–सरकारी महाविद्यालय, डिजिटल सुरक्षा।

भूमिका :

21वीं सदी को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का युग माना जाता है। इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्मार्टफोन, क्लाउड कंम्प्यूटिंग तथा डिजिटल शिक्षा के विस्तार ने मानव जीवन के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। शिक्षा का क्षेत्र भी

इससे अछूता नहीं रहा है। वर्तमान समय में ऑनलाइन कक्षाएँ, ई–कंटेट, डिजिटल मूल्यांकन, वर्चुअल प्रयोगशालाएँ तथा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग बन चुके हैं।

किन्तु तकनीकों विकास के साथ साइबर अपराधों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साइबर अपराध वे अपराध है जो कम्प्यूटर, इंटरनेट अथवा डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से किये जाते हैं। इनमें हैकिंग, साइबर, बुलिंग, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, पहचान चोरी, मैलवेयर आक्रमण तथा डेटा चोरी प्रमुख है। शिक्षक–प्रशिक्षुओं भविष्य के शिक्षक होते हैं। यदि उनमें साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध के प्रति प्रर्याप्त जागरूकता होगी तो वे स्वयं सुरक्षित रहेगें तथा विद्यार्थियों को भी सुरक्षित डिजिटल नागरिक बनने हेतु प्रेरित करेंगे। इसलिए शिक्षक–प्रशिक्षुओं की साइबर जागरूकता का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से प्रस्तुत शोध कार्य किया गया है।

वर्तमान समय सूचना एावं संचार प्रोद्योगिकी का युग है। इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशलमीडिया, डिजीटल बैंकिग तथा ऑनलाइन शिक्षा के व्यापक उपयोग ने जीवन को सरल बनाया है, किन्तु इसके साथ ही साइबर अपराधों में भी निरन्तर वृद्धि हुई है। वर्तमान समय में हैंकिग, फिशिंग साइबर बुलिंग, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, ई–मेल, फ्रॉड, सोशल मीडिया अपराध तथा डेटा चोरी जैसी घटनाएँ तेजी से बढ़ रही हैं। इन अपराधों का प्रभाव समाज के प्रत्येक वर्ग पर पड़ रहा है, जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक भविष्य के शिक्षक–प्रशिक्षु भी शामिल हैं। शिक्षक, प्रशिक्षु भविष्य के शिक्षक होते हैं, यदि वे स्वयं साइबर अपराधों के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो वे विद्यार्थियों को भी सुरक्षित डिजिटल वातावरण उपलब्ध नहीं करा सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी डिजीटल शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबर सुरक्षा के महत्व को स्वीकार किया है। वर्तमान में शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थानों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है, किन्तु साइबर सुरक्षा सम्बन्धी व्यवहारिक ज्ञान एवं जागरूकता का स्तर सभी संस्थानों में समान नहीं है।

बरेली मण्डल के सरकारी एवं गैर सरकारी महाविद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों, डिजीटल सुविधाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा तकनीकि वातावरण में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है। ऐसी स्थिति में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि क्या इन दोनों प्रकार के महाविद्यालयों में अध्ययनरत शिक्षक प्रशिक्षुओं की साइबर क्राइम जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर विद्यमान हैं? इस प्रश्न के समाधान हेतु प्रस्तुत अध्ययन किया गया है।

समस्या का कथन

"बरेली मण्डल के सरकारी एवं गैर–सरकारी महाविद्यालयों में अध्ययनरत शिक्षक–प्रशिक्षुओं में साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन।"

अध्ययन की आवश्यकता

वर्तमान युग में डिजिटल तकनीक का प्रयोग शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य हो गया है। ऑनलाइन शिक्षण, ई–कंटेट, डिजिटल मूल्यांकन तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षा को नई दिशा प्रदान की है। इन परिवर्तनों के साथ साइबर सुरक्षा का महत्व भी अत्यधिक बढ़ गया है।

यदि शिक्षक–प्रशिक्षु साइबर अपराधों की प्रकृति, उनके प्रकार, कारण, रोकथाम एवं कानूनी प्रावधानों से परिचित होगें तो वे स्वयं भी सुरक्षित रहेंगे तथा, भविष्य में अपने विद्यार्थियों को भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक बना सकेंगे। इसलिए शिक्षक–प्रशिक्षुओं की साइबर अपराध जागरूकता का अध्ययन समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

यह अध्ययन निम्न कारणों से महत्वपूर्ण है–

- शिक्षक–प्रशिक्षुओं की वास्तविक साइबर जागरूकता का स्तर ज्ञात होगा।

- सरकारी एवं गैर सरकारी महाविद्यालयों के मध्य अंतर स्पष्ट होगा।
- शिक्षक शिक्षा कार्योक्रम में आवश्यक सुधार के लिए आवश्यक सुझाव प्राप्त होगें।
- साइबर सुरक्षा शिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता का मूल्यांकन किया जा सकेगा।
- भविष्य में नीति–निर्माताओं एवं शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए यह अध्ययन उपयोगी सिद्ध होगा।

अध्ययन के उद्देश्य

- बरेली मण्डल के सरकारी एवं गैर सरकारी महाविद्यालयों में अध्ययनरत शिक्षक–प्रशिक्षुओं के साइबर क्राइम जागरूकता स्तर का अध्ययन करना।
- सरकारी एवं गैर सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षक–प्रशिक्षुओं के साइबर क्राइम जागरूकता स्तर का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- दोनों समूहों के मध्य प्राप्त अंतर की सांख्यिकीय सार्थकता का परीक्षण करना।
- साइबर क्राइम जागरूकता के आधार पर शिक्षक शिक्षा के लिए उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध परिकल्पना

"बरेली मण्डल के सरकारी एवं गैर सरकारी महाविद्यालयों में अध्ययरत शिक्षक–प्रशिक्षुओं के साइबर क्राइम जागरूकता स्तर में सार्थक अंतर पाया जाता है।"

शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णानात्मक सर्वेक्षण का प्रयोग किया गया। यह विधि सामाजिक एवं शैक्षिक अनुसंधानों में सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि इसके द्वारा किसी समस्या की वर्तमान स्थिति का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। प्रस्तुत अध्ययन में तुलनात्मक शोध अभिकल्प अपनाया गया है।

जनसंख्या

प्रस्तुत अध्ययन की जनसंख्या में बरेली मण्डल के सरकारी एवं गैर सरकारी महाविद्यालयों में अध्ययनरत शिक्षक–प्रशिक्षु सम्मिलित थे। सरकारी महाविद्यालयों में बरेली मण्डल के बरेली कॉलेज से 25 शिक्षक–प्रशिक्षु तथा एम. जे.पी.आर.यू. से 25 शिक्षक–प्रशिक्षुओं का चयन किया गया तथा गैर–सरकारी महाविद्यालयों में खण्डेलवाल कॉलेज, पी. जी.आई. ऑफ मेनेजमेंट, ज्योति कॉलेज तथा, अग्रसेन महाविद्यालय से 50 शिक्षक प्रशिक्षुओं का चयन किया गया।

नमूना

प्रस्तुत शोध पत्र में तुलनात्मक अध्ययन हेतु कुल 100 शिक्षक–प्रशिक्षुओं का यादृच्छिक विधि द्वारा चयन किया गया।

संस्थागत प्रकार के अनुसार नमूना विवरण (N=100)

तालिका –1

संस्था	**संख्या**	**प्रतिशत**
सरकारी महाविद्यालय	50	50%
गैर–सरकारी महाविद्यालय	50	50%
कुल	100	100%

© Shiksha Samvad | Received: 10 June -2026 | Accepted: 15 June - 2026 | Published:20 June - 2026

व्याख्या

तालिका–1 से स्पष्ट है कि अध्ययन में कुल 100 शिक्षक–प्रशिक्षुओ को शामिल किया गया, जिनमें 50 (50 प्रतिशत) सरकारी महाविद्यालयों तथा 50 (50 प्रतिशत) गैर–सरकारी, महाविद्यालयों से चयनित किए गए। दोनों समूहों की संख्या समान होने के कारण तुलनात्मक विश्लेषण अधिक विश्वसनीय एवं संतुलित माना जा सकता है।

प्रतिशत विश्लेषण

तालिका –2

वर्ग	**संख्या**	**प्रतिशत**
सरकारी शिक्षक–प्रशिक्षु	50	50%
गैर–सरकारी शिक्षक–प्रशिक्षु	50	50%
कुल	100	100%

नमूना विवरण का पाई चार्ट

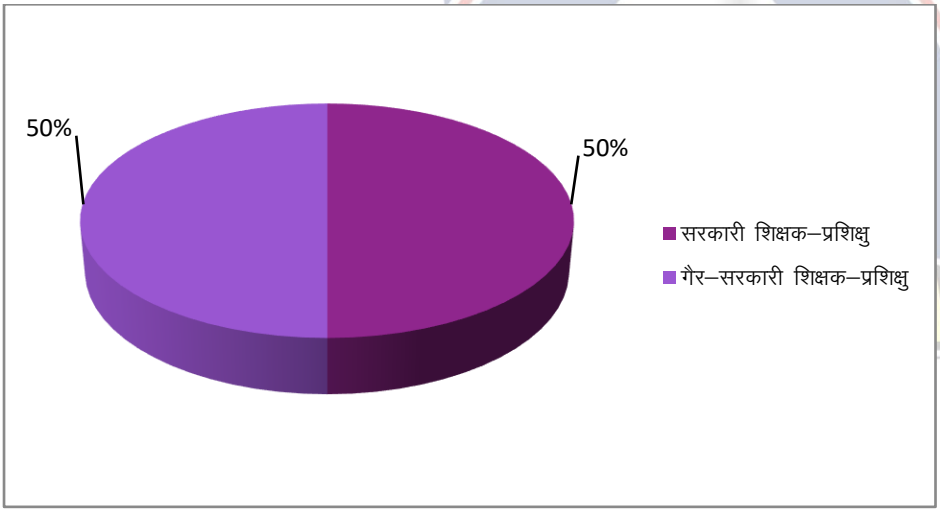

व्याख्या

पाई चार्ट से स्पष्ट है कि अध्ययन में सरकारी महाविद्यालयों एवं गैर–सरकारी, महाविद्यालयों में समान अनुपात (50–50 प्रतिशत) के शिक्षक–प्रशिक्षुओं को सम्मिलित किया गया। इससे दोनों समूहों की तुलना निष्पक्ष एवं सांख्यिकीय दृष्टि से उपयुक्त मानी जा सकती है।

शोध उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा निर्मित एवं मानकीकृत ''साइबर क्राइम जागरूकता मापनी'' का प्रयोग किया गया। इस मापनी के माध्यम से शिक्षक–प्रशिक्षुओं के साइबर अपराध सम्बन्धी ज्ञान, जागरूकता, व्यवहार एवं सस्ता उपायों का आंकलन किया गया। मापनी की वैधता एवं विश्वसनीयता का परीक्षण विशेषज्ञों के परामर्श तथा सांख्यिकीय विधियों द्वारा किया गया।

प्रयुक्त सांख्यिकीय तकनीकें

अध्ययन में संकलित आंकड़ों के विश्लेषण हेतु निम्न सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग किया गया–

- प्रतिशत
- माध्य
- मानक विचलन
- स्वतंत्र टी–परीक्षण

आंकड़ों का विश्लेषण एवं परिणामों की व्याख्या

वर्तमान अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बरेली मण्डल के सरकारी एवं गैर–सरकारी महाविद्यालयों में अध्ययनरत् शिक्षक–प्रशिक्षुओं में साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोनों समूहों के प्राप्त अंको का सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया। अध्ययन में माध्य (Mean), मानक विचलन, स्वतंत्र नमूना, टी–परीक्षण तथा प्रतिशत विश्लेषण का प्रयोग किया गया। प्राप्त परिणाम निम्नवत् हैं–

तालिका–3

सरकारी एवं गैर–सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षक–प्रशिक्षुओं में साइबर क्राइम जागरूकता का तुलनात्मक विश्लेषण (N=100)

संस्था का प्रकार	N	Mean	SD	t-Value	P-Value	निष्कर्ष
सरकारी महाविद्यालय	50	132.4	22.8	5.68	< 0.001	सार्थक
गैर–सरकारी महाविद्यालय	50	121.2	25.7			
कुल	**100**	-	-			**स्वीकार**

तालिका–4

औसत जागरूकता स्तर का प्रतिशत विश्लेषण

समूह	औसत अंक	प्रतिशत
सरकारी महाविद्यालय	132.4	52.2%
गैर–सरकारी महाविद्यालय	121.2	47.8%
कुल	**253.6**	**100%**

औसत जागरूकता स्तर का पाई चार्ट

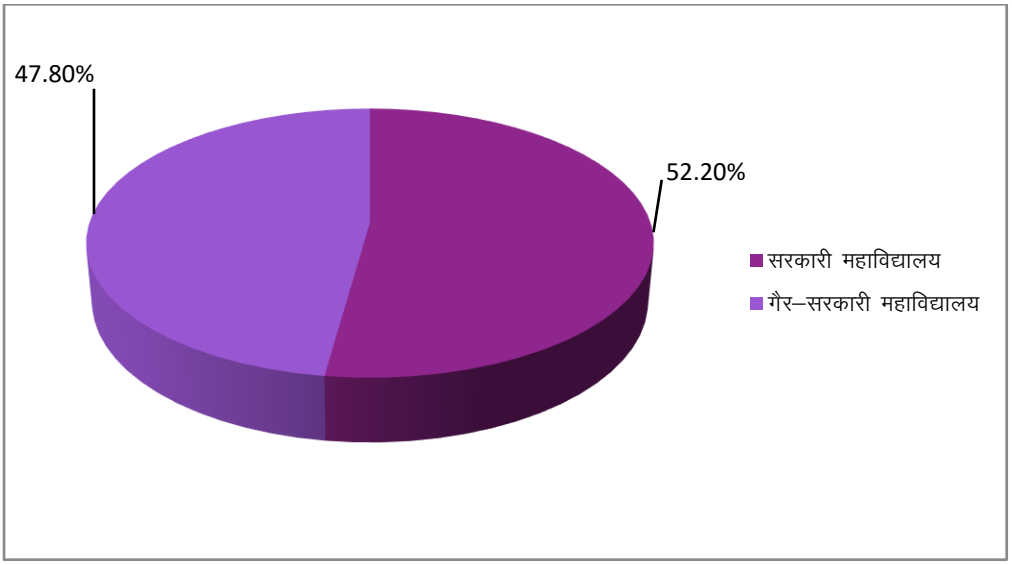

प्रतिशत निकालने की विधि –

सरकारी = (132.4÷ 253.6)× 100 = 52.2%

गैर–सरकारी = (121.2÷ 253.6)× 100 = 47.8%

परिणामों की विस्तृत व्याख्या

उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि सरकारी एवं गैर सरकारी महाविद्यालय के शिक्षक–प्रशिक्षुओं की साइबर क्राइम जागरूकता में उल्लेखनीय अंतर पाया गया। दोनों समूहों के मध्य लगभग 11.2 अंको का अंतर पाया गया, जो यह दर्शाता है कि सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षक–प्रशिक्षुओं की साइबर जागरूकता समूह का मानक विचलन 22.8 तथा गैर सरकारी समूह का मानका विचलन 25.7 प्राप्त हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों समूहों में व्यक्तिगत स्तर पर कुद भिन्नताएं अवश्य है, किन्तु सरकारी समूह में प्राप्त अंक अपेक्षाकृत अधिक संगठित एवं एकरूप है।

दोनों समूहों के मध्य प्राप्त अंतर की सांख्यिकीय सार्थकता ज्ञात करने हेतु स्वतंत्र नमूना टी–परीक्षण का प्रयोग किया गया। प्राप्त $t = 5.38$ तथा $P < 0.001$ यह सिद्ध करता है कि दोनों समूहों के मध्य अत्यंत सार्थक है।

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी महाविद्यालयों में अध्ययनरत शिक्षक–प्रशिक्षुओं को साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, डिजिटल संस्थानों तथा सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं का अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त हुआ। इन संस्थाओं में समय–समय पर आयोजित होने वाले सेमिनार, साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों से विद्यार्थियों के ज्ञान एवं व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। गैर सरकारी महाविद्यालयों में अपेक्षाकृत सुविधायें कम होने से औसत अंक कम प्राप्त हुए। इससे पता चलता है कि उनके जागरूकता स्तर को और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। प्रतिशत विश्लेषण से भी यही तथ्य सामने आता है कि कुल जागरूकताा में सरकारी महाविद्यालयों की भागीदारी 52. 2 प्रतिशत जबकि गैर सरकारी महाविद्यालयों की 47.8 प्रतिशत रही।

परिकल्पना का परीक्षण

H_1 : बरेली मण्डल के सरकारी एवं गैर–सरकारी महाविद्यालयों में अध्ययनरत शिक्षक–प्रशिक्षुओं के साइबर क्राइम जागरूकता स्तर में सार्थक अंतर पाया जाता है।

निर्णय : प्राप्त $t = 5.38$ एवं $P < 0.001$ के आधार पर H_1 स्वीकार की जाती है।

प्रमुख निष्कर्ष

- सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षक–प्रशिक्षुओं का औसत साइबर क्राइम जागरूकता स्तर 132.4 पाया गया।
- गैर सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षक–प्रशिक्षुओं का औसत साइबर क्राइम जागरूकता स्तर 121.2 पाया गया।
- इन दोनों समूहों के मध्य 11.2 अंको का औसत अन्तर प्राप्त हुआ।
- दोनों समूहों के मध्य प्राप्त $t = 5.38$ तथा $P < 0.001$ का मान सांख्यिकीय रूप से सार्थक पाया गया।

अध्ययन की वैकल्पिक परिकल्पना (H_1) स्वीकार की गई। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम साइबरा जागरूकताा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।

शैक्षिक निहितार्थ

- शिक्षक–प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में साइबर सुरक्षा एवं साइबर कानून का पृथक मॉडयूल सम्मिलित किया जाए।

- प्रत्येक शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालय में नियमित साइबर सुरक्षा कार्यशालाएं आयोजित की जाएं।
- साइबर हेल्पलाइन के उपयोग काा प्रशिक्षण दिया जाये।
- साइबर सुरक्षा संबंधी व्यवहारिक अभ्यास को बढ़ावा दिया जाये।
- गैर सरकारी महाविद्यालयों को भी सरकारी संस्थानों के समान साइबर सुरक्ष संसाधन उपलब्ध कराये जाए।
- विश्वविद्यालय स्तर पर साइबर जागरूकता सप्ताह एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए।
- प्रत्येक शिक्षक–प्रशिक्षु को साइबर सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रशिक्षण से जोड़ने का प्रयास किया जाये।

निष्कर्ष :

प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बरेली मण्डल के सरकारी एवं गैर–सरकारी महाविद्यालयों में अध्ययनरत शिक्षक–प्रशिक्षुओं की साइबर क्राइम जागरूकता में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अन्तर विद्यमान है। यह अन्तर संस्थागत संसाधनों, डिजीटल सुविधाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा साइबर सुरक्षा संबंधी अवसरों के कारण हो सकता है।

वर्तमान समय में शिक्षक केवल विषय विशेषज्ञ नहीं बल्कि डिजीटल नागरिकता के मार्गदर्शक भी हैं। इसीलिए आवश्यक है कि शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थानों में साइबर सुरक्षा शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए। यदि प्रत्येक शिक्षक प्रशिक्षु को व्यवस्थित साइबर सुरक्षा प्रशिक्षणा प्रदान किया जाये तो वे भविष्य में विद्यार्थियों को भी सुरक्षित जिम्मेदार एवं जागरूक डिजीटल नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे।

संदर्भ

1. अब्राहम, टी. ओ., फरियोला, ओ. ए., काग्वा, एस., उवाओमा, पी. यू., हसन, ए. ओ. एवं दावोडू, एस. ओ. (2024)। साइबर सुरक्षा जागरूकता एवं शिक्षा कार्यक्रमः कर्मचारी सहभागिता और उत्तरदायित्व की समीक्षा। कंप्यूटर साइंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान जर्नल, 5(1), 100–119।
2. अहमद, बी., पोलास, एम. आर. एच., कबीर, ए. आई., एवं सोहेल–उज़ ज़मान, ए. एस. एम. (2024)। उभरते डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रबंधन हेतु विद्यार्थियों को सशक्त बनाना। सेज ओपन, 14 (1), 1–18।
3. अल–हरबी, एस. एम., सलाम, एम. ए., एवं अल–हद्रामी, ए. एस. (2021)। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में साइबर सुरक्षा जागरूकता का आकलन। एप्लाइड साइंसेज़, 11 (15), 7123।
4. अल–जनाबी, एस., एवं अल–शौरबाजी, आई. (2016)। मध्य–पूर्व के शैक्षिक वातावरण में साइबर सुरक्षा जागरूकता का अध्ययन। जर्नल ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट, 15 (1)।
5. अलसेमेरी, आर. ए., मैकिक, एच., एवं अलसेमेरी, एच. (2024)। वर्तमान साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण विधियों की व्यवस्थित समीक्षा। कंप्यूटर्स एंड सिक्योरिटी, 136।
6. असिरी, एस., एवं अलोबैद, ए. एम. (2020)। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों में सूचना सुरक्षा जागरूकता व्यवहार। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस, 11 (9), 344–351।
7. बीले, डी., वैंडोनिंक, एस., एवं डी वुल्फ, आर. (2021)। बच्चों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता : एक व्यवस्थित साहित्य समीक्षा। कंप्यूटर्स एंड सिक्योरिटी, 108।
8. ब्रेनर, एस. डब्ल्यू. (2007)। स्मार्ट प्रौद्योगिकी के युग में विधि। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

9. बुलगुर्कु, बी., कैवुसोग्लू, एच., एवं बेनबासैट, आई. (2010)। सूचना सुरक्षा नीति का अनुपालन। एम.आई.एस. क्वार्टरली, 34(3), 523–548।
10. फर्नेल, एस. (2002)। साइबर अपराधरू सूचना समाज का विनाश। एडिसन– वेस्ले। 11. गॉर्डन, एस., एवं फोर्ड, आर. (2006)। साइबर अपराध की परिभाषा एवं वर्गीकरण। जर्नल ऑफ कंप्यूटर वायरोलॉजी, 2, 13–201
11. ग्रेबोस्की, पी. (2007)। साइबर अपराध का वैश्विक आयाम। एस. घोष एवं ई. टुरिनी (सम्पा.), साइबर अपराधः एक बहुविषयक विश्लेषण (पृष्ठ 311–339)। स्प्रिंगर।
12. होल्ट, टी. जे., एवं बॉस्लर, ए. एम. (2016)। साइबर अपराध की प्रगति। रूटलेज।

Cite this Article:

वेद प्रकाश शर्मा, डा. विनीता एम0 चैधरी, "बरेली मण्डल के सरकारी एवं गैर सरकारी महाविद्यालयों में अध्ययनरत शिक्षक प्रशिक्षुओं में साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन" Shiksha Samvad International Open Access Peer-Reviewed & Refereed Journal of Multidisciplinary Research, ISSN: 2584-0983 (Online), Volume 03, Issue 04, Pp.398- 405, June-2026. Journal URL: https://shikshasamvad.com/

This is an Open Access Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved.

CERTIFICATE

of Publication

This Certificate is proudly presented to

वेद प्रकाश शर्मा[1], डॉ0 विनीता एम0 चौधरी[2]

For publication of research paper title

बरेली मण्डल के सरकारी एवं गैर सरकारी महाविद्यालयों में अध्ययनरत शिक्षक प्रशिक्षुओं में साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन

Published in 'Shiksha Samvad' Peer-Reviewed and Refereed Research Journal and E-ISSN: 2584-0983(Online), Volume-03, Issue-04, Month June 2026.

Dr. Neeraj Yadav
Editor-In-Chief

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Executive-chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at: https://shikshasamvad.com/

DOI:- https://doi.org/10.64880/shikshasamvad.v3i4.42